दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र

हिमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

□ वर्ष 64 □ अंक-7 □ दिल्ली □ जनवरी (प्रथम) □ मूल्य : 2 रु.

41वें राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन में सरकार से मांग

भारत की करेंसी नोटों और मुद्रा-सिक्कों पर भारत रत्न बाबा साहब डा. अम्बेडकर का चित्र छापा जाये

भारतीय दलित साहित्य अकादमी का द्विदिवसीय 41वां राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन 12–13 दिसम्बर, 2025 को पंचशील आश्रम, झड़ौदा (बुराड़ी बाई पास), आउटर रिंग रोड, दिल्ली में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस महासम्मेलन में देश के अलावा विदेशों के दलितोत्थान में जुड़े दलित साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, समाजसेवियों ने भाग लेकर दलितोत्थान विषयों पर विचार विमर्श किया।

पहले दिन का सम्मेलन **'सम्मान दिवस'** व दूसरे दिन का सम्मेलन **'अधिकार दिवस'** के रूप में आयोजित किया गया। पहले दिन के 'सम्मान दिवस' कार्यक्रम का शुभारम्भ भगवान बुद्ध व बाबा साहब डा. अम्बेडकर के चित्रों पर फूल अर्पण करके, दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया। इसके बाद 'बुद्ध वन्दना' व 'भीम वन्दना' के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सोहनपाल सुमनाक्षर ने सम्मेलन में पधारे विशिष्ठ अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद डा. सुमनाक्षर ने अपने स्वागत भाषण में सम्मेलन में आये सभी प्रतिनिधियों का अभिनन्दन करते हुए इस सम्मेलन में विभिन्न अवार्डों से सम्मानित होने वाले विशिष्ठ जनों को बधाई देते हुए उन्हें अपने सेवा कार्यों को नियमित रूप से करते रहने का आह्वान किया ताकि बाबा साहब के जिस कारवां को अकादमी ने गत 41 सालों में देश–विदेश में आगे बढ़ाया है, उसे उनके मूलमंत्रों के साथ और आगे बढ़ाया जा सके।

सम्मेलन को जिन महानुभावों ने सुशोभित किया उनमें प्रमुख हैं–

मुख्य अतिथि, डॉ. सत्यनारायण जटिया, पूर्व सांसद (राज्यसभा), पूर्व केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार), श्री निरंजन बिशी, (एम. पी. – राज्यसभा), श्री संघप्रिय गौतम, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, डॉ. एम.एल. रंगा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा सरकार, श्री बबनराव घोलप, पूर्व समाज कल्याण मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, डा. करम सिंह, एम.बी.बी.एस., रिटायर्ड कर्नल– आर्मी मेडिकल कोप्स, डॉ. हरि सिंह पाल, पूर्व डायरेक्टर आकाशवाणी, नई दिल्ली, जनरल सेक्रेटरी – नागरी लिपि परिषद्, नई दिल्ली, श्री शेखर सेवा, चेयरमैन – शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर बोर्ड, सिक्किम, प्रो. (डा.) कालीचरन 'स्नेही', पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, लखनऊ यूनिवर्सिटी, प्रो. (डा.) श्यौराज सिंह 'बेचैन', पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्री नीरज सेठी, स्टेट प्रेसीडेंट – शिव सेना, हरियाणा प्रदेश, श्री युवराज बी.के., राष्ट्रीय महामंत्री, नेपाल दलित साहित्य अकादमी, प्रो. पी. विष्णुमूर्ति, अध्यक्ष– साउथ इण्डिया स्टेट्स कमेटी, बी.डी.एस.ए., डॉ. जितेन्द्र कुमार मनु, संगठन मंत्री, साउथ इण्डिया स्टेट्स कमेटी, बी. डी.एस.ए., श्री सुभाष एच. कानड़े, नेशनल को–ओरडीनेटर, बी.डी.एस. ए., श्री ब्रिजलाल रविदास, अध्यक्ष– नॉर्थ इण्डिया स्टेट्स कमेटी, बी. डी.एस.ए., प्रो. (डा.) पिताम्बर दास, एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ.प्र.)।

इस सम्मेलन में पूर्व केन्द्रीय मंत्री, बाबा साहब डा. अम्बेडकर के परम शिष्य श्री संघप्रिय गौतम अति विशिष्ट अतिथि थे। श्री निरंजन बिशी, सांसद (राज्यसभा) ने अध्यक्षता की। हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डा. एम.एल. रंगा, डा. करम सिंह, रिटायर्ड कर्नल ने विशिष्ठ अतिथि के रूप में सहभागिता की।

नेपाल दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री युवराज बी.के. ने नेपाल के दलित, प्रतिनिधियों का नेतृत्व करते हुए विशेष अतिथि के रूप में सम्मेलन में सहभागिता की।

इस अवसर पर दलितोत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दलित साहित्यकारों और समाजसेवियों को डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार तथा डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रदेशों के दलित कलाकारों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इसमें आसाम

(शेष भाग... पृष्ठ 3 पर)

सम्पादकीय

स्त्रियों को समानता देने के लिए पितृसत्ता का समर्थन करने वाले साहित्य पर प्रतिबन्ध लगे

स्त्री विमर्श पर चर्चा करने से पहले यह भी जान लेना जरूरी है कि पूरी दुनिया में स्त्रियों की संख्या लगभग आधी है यानि पुरुषों के बराबर स्त्रियों की संख्या है, पर क्य वे पुरुषों की तरह स्वतंत्रता, समता, बन्धुता, न्याय व सुरक्षा पा सकी हैं? भारतीय परिवेश में यह इसलिये जानना जरूरी है क्योंकि पश्चिमी देशों में वे पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त है, पर भारत जैसे पूरबी समाज में जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त वे पितृसत्ता की भावना से बंधी है। पश्चिमी देशों में उनके वयस्क होते ही वे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने के लिए आजाद होती है, पर भारत जैसे देश व समाज में वे जहां बचपन से लेकर वयस्क होने तक पितृसत्ता में बंधने के लिए बाधित है, वहीं शादी होने पर वे अपने पति व परिवार से बंध जाती है और फिर बुढ़ापे यानि वृद्धावस्था में अपने पुत्रों या परिवार के वरिष्ठ लोगों के आसरे पर शेष जीवन जीने के लिए बाध्य है। यानि वे कभी भी पूरे जीवन स्वतंत्र नहीं है। वे पारिवारिक वातावरण में न अच्छा खा–पी सकती है, न ही अपने सगे- सम्बन्धी भाई, पिता या पति के समान सोच सकती है, ना ही स्वतंत्र विचरण कर सकती है। उस पर सामाजिक प्रतिबंध इतने कठोर होते हैं कि वह कभी भी उन्हें लांघ कर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन नहीं जी सकती।

आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी है। स्त्री को स्वतंत्रता, समता, बन्धुता, न्याय व सुरक्षा के अधिकार दिलाने के लिए कार्य करनेवाले समाजसेवियों, चिन्तकों, आन्दोलनकारियों में प्रमुख राष्ट्रनायक महात्मा जोतिबा फुले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारतीय संविधान के निर्माता 'भारतरत्न' बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर, चिन्तक व विचारक डॉ. राम मनोहर लोहिया आदि ने स्त्री उत्थान के लिए किये गये कार्यों के लिए बधाई के पात्र हैं।

महात्मा जोतिबा फुले ने सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के लिए 1848 में कन्या पाठशालायें खोलीं, महात्मा गांधी जी ने अपने स्वतंत्रता आन्दोलन में पुरुषों के बराबर महत्व देते हुए स्त्रियों को भी घर से बाहर निकाला, बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने तो स्त्रियों को पुरुष के बराबर समता के अधिकार देने के लिए संसद में 'हिन्दू कोड बिल' लाने का काम किया और उसके पास ना होने पर उन्होंने कानून मंत्री पद से ही अपना इस्तीफा दे दिया था। लेखक, विचारक और राजनीति के धुरन्धर डॉ. राम मनोहर लोहिया ने स्त्री की समानता के अधिकार के लिए संसद में बार–बार यह मसला उठाया और अपनी राजनीतिक पार्टी में प्रमुखता से रखा। प्रसिद्ध समाजसेवी राजा राममोहन राय ने तो स्त्रियों की 'सती प्रथा' पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार से कानून बनवाया।

अब प्रश्न उठता है कि हमारे इन समाजसुधारकों, मनीषियों, विचारकों व आन्दोलनकारियों ने स्त्रियों के उत्थान के लिए अपने

(शेष भाग... पृष्ठ 8 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/-
बुद्धा दू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/-
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/-
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	100/-
दलित साहित्य की हुंकार–सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/-
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/-
मेरे साक्षात्कार–मेरा जीवन संघर्ष	डा. सुमनाक्षर	300/-
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/-
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	100/-
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	100/-
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	100/-
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/-
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/-
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/-
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/-
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/-
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	100/-
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	100/-
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	200/-
Who's who Dalit Writers in India	Dr. Sumanakshar	500/-
Who's Who–International & National Awardees of B.D.S.A.	Dr. Sumanakshar	500/-

पुस्तक मंगाने के लिए अग्रिम राशि निम्नलिखित अकादमी के खाते में भेजें

Bharatiya Dalit Sahitya Akademi
A/c No. - 2592101012292 (Canara Bank)
IFSC - CNRB0002592
Branch - Model Town, Delhi

पृष्ठ 1 का शेष...भारत की करेंसी नोटों और मुद्रा-सिक्कों पर भारत रत्न बाबा साहब डा. अम्बेडकर का चित्र छापा जाये

प्रदेश की कलाकार कुमारी भूमिका चौधरी द्वारा प्रस्तुत मणिपुर डांस को सर्वाधिक सराहा गया।

इस दलित साहित्यकार सम्मेलन में विभिन्न दलों के राजनेता व विद्वानों ने भाग लेकर दलितों की दशा व दिशा पर अपने विचार व्यक्त किये। सम्मेलन के इस शुभावसर पर विभिन्न अवार्डों से निम्नलिखित साहित्यकारों, समाजसेवियों, कलाकारों को उनके उत्कृष्ट दलितोत्थान कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सोहनपाल सुमनाक्षर का स्वागत भाषण

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सोहनपाल सुमनाक्षर ने अपने स्वागत भाषण में अकादमी की गत 41 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अकादमी की स्थापना वर्ष 1984 से पूर्व बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर सत्ता और समाज–दोनों की ओर से उपेक्षा, नफरत, जाति भेदभाव के शिकार हुए अवसान की स्थिति में थे। उस समय तक उनका किसी भी पत्र–पत्रिकाओं, पाठ्य पुस्तकों और सार्वजनिक मंचों से खुलकर कोई जिक्र नहीं होता था। भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने सबसे पहले दलित साहित्य को जन साधारण के अलावा शिक्षा संस्थानों में स्थापित किया और फिर बाबा साहब डा. अम्बेडकर की छवि को एक महान साहित्यकार, संविधान निर्माता और महान राष्ट्रवादी, समाज सुधारक के रूप में स्थापित करते हुए उन्हें न केवल भारत का बल्कि विश्व का अकेला महान समाज सेवक और विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित किया। अकादमी ने 1984 में सबसे पहले 'डा. अम्बेडकर के नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार देने की परम्परा शुरू की, और प्रत्येक वर्ष देश–विदेश के 10 सर्वोच्च साहित्यकारों, समाज सुधारकों, कलाकारों, को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए डा. अम्बेडकर के नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार देकर उनके नाम को उचित सम्मान दिया जाने की शुरुआत की। अकादमी ने ही सबसे पहले बाबा साहब डा. अम्बेडकर को 'भारतरत्न' दिये जाने की मांग भारत सरकार से की, जिसे 1990 में प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह सरकार ने स्वीकारते हुए उन्हें 'भारतरत्न' मरणोपरांत दिये जाने की घोषणा की। अकादमी ने उनकी जन्म शताब्दी विश्वस्तर पर मनाने, उनके नाम पर डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (फाउन्डेशन) स्थापित करने, और मराठी व अंग्रेजी में लिखे उनके साहित्य को सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराकर प्रकाशित करने की मांगी की। बाबा साहब डा. अम्बेडकर के व्यक्तित्व व कृतित्व से सम्बन्धित इन मांगों को स्वीकारने और उन्हें पूरा करने की मांग पर तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिला, जिसका यह परिणाम सामने आया कि भारत सरकार द्वारा बाबा साहब डा. अम्बेडकर को मरणोपरांत 'भारतरत्न' दिया गया। भारत सरकार ने उनकी 'सौंवी' जन्म शताब्दी को विश्व स्तर पर मनाया, उनके नाम पर डाक टिकट व सिक्का जारी किया गया। उनके नाम पर 'डा. अम्बेडकर फाउन्डेशन' की सरकार ने स्थापना की और उसके द्वारा बाबा साहब के राईटिंग्स व लिटरेचर को देश की 9 भाषाओं में 'वोल्यूम' के रूप में प्रकाशित करना शुरू किया। उनकी जन्म शताब्दी पर 'अकादमी की परम्परा की तरह भारत सरकार की ओर से भी 'डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार' देना शुरू किया। देश–विदेश में डा. अम्बेडकर दर्शन पर रिसर्च करने वालों को 'डा. अम्बेडकर स्कोलरशिप' देना शुरू किया। हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि भारत सरकार ने 'डा. अम्बेडकर फाउन्डेशन' का पहला 'डायरेक्टर पद्मश्री डा. श्याम सिंह 'शशि' जी को बनाया जो भारतीय दलित साहित्य अकादमी के संस्थापक सदस्यों में से थे। बाबा साहब डा. अम्बेडकर के प्रति अति श्रद्धा दिखाते हुए 'डा. शशि' ने भी 'डायरेक्टर' पद इस शर्त पर स्वीकारा कि वे सरकार से कोई वेतन–भत्ता नहीं लेंगे, बस 'एक रुपया मानदेय के रूप में लेंगे।'

अकादमी के लिए वर्ग की बात है डा. श्याम सिंह 'शशि' के निर्देशन में बाबा साहब डा. अम्बेडकर के 'राईटिंग्स व स्पीचेज' का 9 भाषाओं में अनुवाद होकर 22 वोल्यूम पुस्तक के रूप में प्रकाशित होकर सामने आए, जिन्होंने बाबा साहब डा. अम्बेडकर के दर्शन, सोच, कार्यों से जन साधारण को रूबरू किया, और लोगों के मन के अन्दर वे एक इन्सान नहीं बल्कि एक असली भगवान के रूप में अवतरित हुए।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने अपने संस्थापक बाबू जगजीवन राम जी तथा बाबा साहब डा. अम्बेडकर का आकलन तुलनात्मक रूप से कभी नहीं किया। अकादमी के लिए दोनों महापुरुष हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से दलितोत्थान में अपना जीवन लगा दिया और दलित समाज को ऊपर उठाने के लिए बाबा साहब ने मूल मंत्र दिया–'शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो।' वही बाबूजी ने भी मूल मंत्र दिया–'जीना है तो मरना सीखो, निडर होकर संघर्ष करना सीखो, तभी दलितों के छीने अधिकार मिल पायेंगे।'

भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने गत 41 सालों में जो ऐतिहासिक कार्य किये हैं उनमें सर्वप्रथम दलित साहित्य की स्थापना है, फिर अपने महापुरुषों, संत–महात्माओं और नायकों–वीरांगनाओं को उनके कार्यों के लिए उचित सम्मान दिलाना है। अकादमी ने 'हम कौन थे, केसे ऐसे हो गये और अब हमें कैसे–क्या बनना है, का रोड मैप उत्पीड़ित दलितों को दिया। उसने दासता, गुलामी, पराधीनता के विरुद्ध जन सामान्य में वैचारिक क्रान्ति पैदा करके व दलित साहित्य व दलित सभा–सम्मेलनों के माध्यम से जनचेतना जाग्रत की। आज 41 सालों के रचनात्मक कार्यों के कारण ही अकादमी का विस्तार काश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ खाड़ी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक दलित परिवारों के हर जन–हर घर तक पहुंचा है। अकादमी की इस वैचारिक क्रान्ति में न भाषा का झंझट आड़े आया, न देश प्रदेश के रहन–सहन, खान–पान, बोलचाल की कोई रुकावट सामने आई। आज दक्षिण भारत की अकादमी की 8 शाखायें और पूर्वोत्तर भारत की 9 प्रदेश शाखायें बिना किसी

भाषायी संकट के अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। दलितों का उत्पीड़न दलित साहित्य में परिलक्षित होता है और जो अन्याय, अत्याचार, दुराचार, शोषण, बलात्कार उत्पीड़न वह अब तक झेलता आया है उसका डटकर प्रतिकार करता है। अब वह जान गया है कि इनसे उसे कैसे लड़ना है और पार पाना है। अकादमी ने दलित साहित्य का हथियार उसे दिया है जिसके बल पर वह पूरी दुनिया में दुराचार से लड़ सकता है।

भारतरत्न बाबा साहब डा. अम्बेडकर का गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और उनके लोगों ने हमेशा अपमान किया। गांधी जी ने पहले 1930 में इंग्लैंड की राऊंड टेबुल कान्फ्रेंस में उनके दलितों के प्रतिनिधि नेता होने पर सवाल उठाकर संशय पैदा किया, जिसे अमान्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ही दलितों का प्रतिनिधि मानते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया और उनकी सलाह और मांग मानते हुए दलितों के उत्थान के लिए 'कम्युनल अवार्ड' दिये जाने की घोषणा की जिसे गांधी जी ने अपना अपमान मानते हुए इसे वापिस लेने के लिए 'आमरण अनशन' की घोषणा की ताकि उनके दबाव में आकर बाबा साहब डा. अम्बेडकर इसे वापिस कर दें और हुआ भी यही, बाबा साहब को 'कम्युनल अवार्ड' छोड़ना पड़ा। बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कानून मंत्री के रूप में 'हिन्दू कोड बिल' संसद में रखा जिसका कांग्रेस नेताओं ने खुलकर विरोध किया और उन पर जातिगत टिप्पणी करके अपमानित किया गया।

भारतीय महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक रूप से एक समान व्यक्ति मानने के लिए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने हिंदू संहिता विधेयक पर लगातार काम किया। उन्होंने हिंदू संहिता कानून बनाया, जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देने की दिशा में था। विधेयक में पुरुषों और महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों को संहिताबद्ध करने की मांग की गयी थी। डा. अम्बेडकर के शब्दों में कहा जाये तो, ''ये विधेयक जिसका उद्देश्य उन नियमों को संहिताबद्ध करना है जो उच्च न्यायालयों और प्रिवी कौंसिल के असंख्य निर्णयों में बिखरे हुए हैं, जो एक आम आदमी के लिए चक्रा देनेवाला घालमेल बन जाता है तथा लगातार मुकदमेबाजी को जन्म देता है, सात विभिन्न मुद्दों से सम्बंधित कानून को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया है।''

इसने उत्तराधिकार के क्रम को बदलने की मांग की और भरण–पोषण, विवाह, अंतरजातीय विवाह, तलाक, गोद लेने, नाबालिगों और उनकी देखभाल पर नए कानून बनाना था।

हिंदू कोड बिल 11 अप्रैल, 1947 को संविधान सभा में पेश किया गया था और 9 अप्रैल, 1948 को इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया था। चार साल के विचार–विमर्श के बाद भी, यह बिल अनिर्णीत रहा। डा. अम्बेडकर ने इस पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि ''उन्होंने बिना इस्तेमाल और बिना ख्याति के ही अपनी जान दे दी।'' स्वतंत्र भारतीय संसद में किसी भी एक बिल पर यह संभवतः सबसे लंबी बहस थी। कांग्रेस हिंदू कोड बिल पर स्पष्टीकरण देने में अनिच्छुक थी, और इसी कारण, अम्बेडकर ने 27 सितंबर, 1951 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के इस्तीफे के चार साल बाद हिन्दू कोड बिल के कुछ खंडों को भागों में बांटकर कई कानूनों का रूप दिया गया।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी अब 42वें वर्ष की ओर अग्रसर है। आज अकादमी से जुड़कर हर व्यक्ति गर्व महसूस करता है और अकादमी की इस 'मशाल' को आगे ले जाने के लिए दिन–रात कार्यरत है, क्योंकि वह जानता है कि उसे आगे बढ़ने की रोशनी दलित साहित्य से मिलेगी, और इसके लिए भारतीय दलित साहित्य अकादमी को भी मजबूत व सबल बनाना है। मैं अकादमी कारवां से जुड़े उन सभी साथियों का अभिनन्दन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं कि वे सब 'नया सूरज' उगाने में लगे हैं। मैं आशा करता हूं कि अकादमी का यह कारवां यूं ही आगे बढ़ते हुए दलितों के दुःख–दर्द, उत्पीड़न, अन्याय दूर करने में सफल होगा।

पारित प्रस्ताव

सम्मेलन में सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गये–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सरकारी महकमों में 22½ प्रतिशत आरक्षण तो है, पर उन्हें पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाता। अतः यह सम्मेलन सरकार से मांग करता है कि उन्हें पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने का प्रावधान संविधान में संशोधन करके करायें।

2. अभी तक न्यायपालिका यानि नीची अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा लागू नहीं है। ऐसी स्थिति में दलितों का 'जज' बनने में भारी उपेक्षा बरती जाती है। न्यायपालिका में सवर्ण जजों का वर्चस्व होने के कारण दलितों को पूर्ण न्याय नहीं मिल पाता। अतः न्यायपालिका के सभी पदों पर दलितों के लिए संविधान प्रदत्त 'आरक्षण कोटा' का प्रावधान लागू किया जाये।

3. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सरकार अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम चलाये और छुआछूत, भेदभाव, ऊंच–नीच, जात–पांत बरतने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करे।

4. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति अत्याचार निरोधक कानून लागू करने में जो ढिलाई पुलिस थानों में बरती जाती है उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए ताकि दलितों पर अत्याचार रुक सकें।

5. आज शिक्षा, चिकित्सा और न्याय बहुत महंगा हो गया है। ऐसी हालत में दलित का समाज में समान स्तर पर लाना असम्भव है। अतः दलितों के उत्थान को ध्यान में रखकर सरकार उन्हें यह सब मुफ्त उपलब्ध कराये और इस विषय में तुरन्त कानून बनाये।

6. सरकारी व निजी क्षेत्रों में दिये जाने वाले ठेकों, नौकरियों,

पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों में दलितों का उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण कोटा निर्धारित किया जाए और ये सब उन्हें सुगमता से उपलब्ध कराये जाएं।

7. सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की नौकरियों में आरक्षित कोटे को पूर्ण रूप से लागू करे। गत वर्षों के जो लाखों आरक्षित पद खाली पड़े हैं, उनको विशेष भर्ती अभियान के तहत भरती करके पूरा करे।

8. सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग व पिछड़ा वर्ग आयोग को न्यायिक अधिकार देकर सशक्त बनाये ताकि दलित, शोषित, उत्पीड़ित लोगों को समय सीमा में न्याय मिल सके।

9. सरकार दलित मीडिया सेंटर स्थापन, समाचार पत्र व टी.वी. चैनल संचालित करने हेतु संचार लाइसेंस की विशेष सुविधा देकर दलित मीडिया कर्मियों व दलित साहित्यकारों को प्रोत्साहित करे।

10. सभी राज्यों में समता के प्रेरक बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर व बाबू जगजीवन राम के नाम पर विश्वविद्यालय खोले जाएं, जहां 80 फीसदी सीटें दलित छात्रों के लिए आरक्षित की जाएं।

11. सभी राज्यों के शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में सन्त शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी, सद्गुरु कबीरदास जी व गुरु घासीदास जी की जीवनी को शामिल किया जाए।

12. देश में लाखों एकड़ खाली व बेकार पड़ी जमीन सरकार भूमिहीन दलित परिवारों में वितरित कराये।

13. भारत सरकार ने 1978 से पंचवर्षीय योजनाओं में 'कम्पोनेन्ट प्लान' के अन्तर्गत दलितों की आबादी के हिसाब से जो धनराशि आवंटित की थी, वह कभी भी उन पर पूरी तरह से खर्च नहीं की गई। अतः अब तक जमा पड़ी वह धनराशि विशेष कार्यक्रम बनाकर दलितों के कल्याण व विकास पर खर्च की जाए।

14. सरकार दलित साहित्य को स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में लगवाये और सरकारी पुस्तकालयों व प्रतिष्ठानों के लिए दलित साहित्य की सीधी खरीद कर दलित साहित्यकारों को प्रोत्साहित करे।

15. देश की अन्य साहित्यिक व सांस्कृतिक अकादमियों की तरह सरकार भारतीय दलित साहित्य अकादमी को एक मुक्त राशि अनुदान के रूप में दे ताकि अकादमी अपनी विभिन्न योजनाओं को साकार रूप दे सके।

16. सरकार राज्यसभा, राज्यपाल, विदेश दूतावासों के पदों पर दलित साहित्यकारों को मनोनीत करे और प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस व पन्द्रह अगस्त के समारोहों में उन्हें 'मानद उपाधि' से सम्मानित करके अलंकृत करें।

17. भारतीय दलित साहित्य अकादमी की सभी राज्य शाखायें प्रतिवर्ष **6 अक्तूबर को 'दलित साहित्य दिवस'** समारोह का आयोजन करेंगी और इस अवसर पर दलित साहित्य के उत्थान के लिए कार्य कर रहे दलित साहित्यकारों, लेखकों, कलाकारों, पत्रकारों को सम्मानित करके प्रोत्साहित करेंगी।

18. भारतीय दलित साहित्य अकादमी को उसके राष्ट्रीय सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों के लिए रेल मंत्रालय रेलवे यात्रा टिकट पर 60 फीसदी कन्शेसन की सुविधा देती आई है। रेलवे घाटे के नाम पर 2012 के बाद से यह सुविधा रोक दी गई। रेल मंत्रालय रेलवे टिकट पर दी जाने वाली रेलवे कन्शेसन सुविधा को दुबारा चालू करें जिससे दलित–शोषित व वंचित समाज के साहित्यकार, कलाकार व समाज–सेवक अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले सकें और सरकारी योजनाओं में अपनी सेवायें दे सकें।

19. भारतीय दलित साहित्य अकादमी अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिवर्ष साहित्यकारों, कलाकारों, पत्रकारों, इतिहासकारों, शिक्षकों और समाजसेवियों को उनके सेवा कार्यों के लिए डा. अम्बेडकर पुरस्कार, डा. अम्बेडकर विशिष्ठ सेवा व डा. अम्बेडकर उत्कृष्ट सेवा अवार्ड, साहित्यश्री, कलाश्री व सेवाश्री अवार्ड व अम्बेडकर फेलोशिप राष्ट्रीय अवार्ड देकर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सम्मानित करती है जो अपने–अपने सेवा क्षेत्रों में और तेज गति से राष्ट्र सेवा कार्यों में अपना योगदान करते हैं। अकादमी केन्द्रीय व राज्य सरकारों से मांग करती है कि वे अकादमी के ऐसे नेशनल अवार्डियों को सरकारी नौकरी के चयन में और उनकी सरकारी नौकरी में पदोन्नति में प्राथमिकता प्रदान करें।

20. देश में 1931 में अंग्रेजी सरकार ने जाति जनगणना पहली बार कराई थी, उसके बाद बार–बार देश के सभी राज्यों में जनगणना कराने की मांग सरकार से की जाती रही, पर किन्हीं कारणों से इस मांग को अनसुना किया जाता रहा। जाति जनगणना नहीं किये जाने के कारण दलित–शोषित, वंचित व पिछड़ी जातियों के लोगों को उनके वास्तविक अधिकारों से वंचित किया जाता रहा। अब जब बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराकर जाति संख्या के आधार पर उनके अधिकार दिये जाने की घोषणा की है। उसी आधार पर अकादमी सरकार से देश में जाति जनगणना कराने की मांग करती है ताकि देश में सभी जातियों को उनकी संख्या के आधार पर उनका 'हक' मिल सके।

21. भारत रत्न बाबा साहब डा. बी.आर. अम्बेडकर ने भारत का संविधान का निर्माण किया। भारत सरकार का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में उनका विशेष योगदान रहा है। इसी तरह सिंचाई के लिए नदी जल योजना व भाखड़ा बांध योजना भी उनकी देन है। यह सम्मेलन भारत सरकार से मांग करता है कि भारतीय संविधान दिवस पर उनके नाम पर विशेष आयोजन किए जाएं और नदी बांध योजनाओं के नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए।

22. भारत के नव निर्माण में बाबा साहब डा. अम्बेडकर का विशेष योगदान रहा है। भारत सरकार से मांग है कि वह भारतीय करेंसी नोटों व मुद्रा सिक्कों पर बाबा साहब डा. अम्बेडकर का चित्र छापा जाये जिसके वह हकदार हैं। क्योंकि 'रिजर्व बैंक इंडिया' की अवधारणा उनकी है। अंग्रेजी सरकार ने उनकी सलाह पर इसे शुरू किया था।

ये सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये। इस अवसर पर दलित साहित्यकारों ने आत्म सम्मान के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। डॉ. सुमनाक्षर ने पारित प्रस्तावों को उचित कार्रवाई के लिए सम्बन्धित विभागों को भेजने की घोषणा की।

धन्यवाद–ज्ञापन

इस द्विदिवसीय सम्मेलन के समापन की घोषणा के साथ अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सोहनपाल सुमनाक्षर ने मुख्य अतिथियों का धन्यवाद करते हुए निम्नलिखित अकादमी के पदाधिकारियों का सम्मेलन को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया–

प्रो. स्वामी आत्माराम, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान, प्रो. जयपाल सिंह, प्रदेशाध्यक्ष उत्तराखंड, डा. राजूराम, प्रदेशाध्यक्ष झारखंड, श्री रामवृक्ष चकपुरी, एडवोकेट, प्रदेशाध्यक्ष बिहार, श्री टी. बालाकृष्णन, प्रदेशाध्यक्ष केरल, डा. मट्टा प्रभात कुमार, प्रदेशाध्यक्ष आंध्र प्रदेश, डा. जितेन्द्र कुमार 'मनु', प्रदेशाध्यक्ष तेलगांना, श्री सी.पी. देसी, प्रदेशाध्यक्ष तमिलनाडु, प्रो. चेलवा राजू पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कर्नाटक, श्री जे.एम. जडेजा, प्रदेशाध्यक्ष गुजरात, श्री तरसेम भारती, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश, श्री जी.आर. बन्जारे 'ज्वाला', प्रदेशाध्यक्ष छत्तीसगढ़, श्रीमती सुदेश कुमारी, प्रदेशाध्यक्ष जम्मू कश्मीर, एडवोकेट आनन्द गवली, प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र, श्री पी.सी. बैरवा, प्रदेशाध्यक्ष मध्य प्रदेश, डा. लालती देवी, प्रदेशाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, डा. सुरेन्द्र कुमार सेलवाल, राष्ट्रीय सचिव, भा.द.सा. अकादमी, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा, श्री निहाल सिंह, प्रदेशाध्यक्ष उड़ीसा प्रदेश, श्री तीरथ तोंगड़िया, नेशनल को–ओरडिनेटर, भा.द.सा. अकादमी, डा. राजमल सिंह 'राज', प्रदेशाध्यक्ष दिल्ली, श्री अशोक कुमार दास, प्रदेशाध्यक्ष, भा.द.सा. अकादमी, प. बंगाल, डा. महेन्द्र वर्मा, महामंत्री, भा.द.सा. अकादमी, तमिलनाडु, श्री शेखर सेवा, प्रदेशाध्यक्ष सिक्किम प्रदेश, डा. वासुगी जयरमन, प्रदेशाध्यक्ष, पांडिचेरी, श्री रमेश कुमार भारती, प्रदेशाध्यक्ष–पंजाब, श्री गंगादास बासिया, प्रदेशाध्यक्ष–चंडीगढ़, श्री वाई.महेन्द्र कुमार सिंह, स्टेट को–ओरडिनेटर, भा.द.सा. अकादमी, श्री आर.के. गुणचन्द्रा, प्रदेशाध्यक्ष मणिपुर, श्री सयान साहा, प्रदेशाध्यक्ष त्रिपुरा, मा. सुभाष एच. कानाडे, नेशनल कोरडिनेटर, भा.द.सा. अकादमी, श्री एच.एम. कुंदर्गी, प्रदेशाध्यक्ष, भा.द.सा. अकादमी, कर्नाटक, श्री अमन डीगवाल, महामंत्री, भा.द.सा. अकादमी, हरियाणा, श्री ब्रिजलाल रविदास, प्रदेशाध्यक्ष आसाम प्रदेश, श्री पंढरी नाथ पवार, अध्यक्ष, भा. द.सा. अकादमी, मुम्बई (महाराष्ट्र), श्री बाबूलाल निर्मल, प्रदेश कोओरडिनेटर, भा.द.सा. अकादमी (राजस्थान), श्री सन्तोष कलोसिया, प्रदेश महामंत्री, भा.द.सा. अकादमी (राजस्थान), श्रीमती मोमीना खातून, प्रदेश उपाध्यक्ष, भा.द.सा. अकादमी, उड़ीसा, डा. सुरेन्द्र लाल आर्य, मण्डलीय अध्यक्ष, पोड़ी गढ़वाल, भा.द.सा. अकादमी, उत्तराखण्ड, श्री राजेन्द्र छोकर, महामंत्री, भा.द.सा. अकादमी, हरियाणा, डा. करम सिंह, रिटायर्ड कर्नल, आर्मी कोप्स।

डा. सुमनाक्षर ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री संघ प्रिय गौतम, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा. सत्य नारायण जटिया, सांसद श्री निरंजन बी.सी, हरियाणा सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, डा. एम.एल. रंगा, महाराष्ट्र समाज कल्याण पूर्व मंत्री, नाना बबनराव घोलप, पूर्व डायरेक्टर– आकाशवाणी, डा. हरी सिंह पाल का अपनी उपस्थिति और उद्‌बोधन से समारोह की शान बढ़ाने और सफल बनाने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया। समारोह के सफल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय महामंत्री प्रो. जय सुमनाक्षर का विशेष आभार।

राष्ट्रगान 'जन मन गण' के साथ सम्मेलन सफलता के साथ सम्पन्न हो गया। अकादमी के राष्ट्रीय सचिव डा. सुरेन्द्र कुमार सेलवाल एवं श्री तीरथ तोंगडिया ने सफल मंच संचालन किया। •

साहित्यकार का फर्ज दलित व पीड़ितों की हिमायत करना

• मुंशी प्रेमचन्द

साहित्य की बहुत सी परिभाषायें की गई हैं, पर विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा 'जीवन की आलोचना' है। चाहे वह निबन्ध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे जीवन की आलोचना या व्याख्या करनी चाहिए।

हमने जिस युग को भी पार किया है, उसे जीवन से कोई मतलब न था। हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमाने तिलस्म बाधा करते थे। कवियों पर भी व्यक्तिवाद का रंग चढ़ा हुआ था। प्रेम का आदर्श वासनाओं को तृप्त करना था और सौंदर्य का आंखों को। इन्हीं श्रृंगारिक भावों को प्रकट करने में कविमंडली अपनी प्रतिभा और कल्पना के चमत्कार दिखाया करती थी।

निस्संदेह, काव्य और साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना है, पर मनुष्य का जीवन केवल स्त्री पुरुष प्रेम का जीवन नहीं। श्रृंगारिक मनोभाव मानव जीवन का एक अंग मात्र है और जिस साहित्य का अधिकांश इसी से सम्बन्ध रखता हो, वह उसी जाति और उस युग के लिए गर्व करने की वस्तु नहीं हो सकता और न उसकी सुरुचि का ही प्रमाण हो सकता है।

जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को स्पंदित करते हैं, वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं । ऐसे पतन के काल में लोग या तो आशिकी करते हैं या अध्यात्म और वैराग्य में मन रमाते हैं। जब साहित्य पर संसार की नश्वरता का रंग चढ़ा हो और उसका एक–एक शब्द नैराश्य में डूबा हो, समय की प्रतिकूलता के रोने से भरा हो और श्रृंगारिक भावों का प्रतिबिम्ब बना हो तो समझ लीजिए कि जाति जड़ता और ह्रास के पंजे में फंस चुकी है और उसमें उद्योग तथा संघर्ष का बल बाकी नहीं रहा। उसने ऊंचे लक्ष्यों की ओर से आंखें बन्द कर ली हैं और उसमें से दुनिया को देखने समझने की शक्ति लुप्त हो गई है।

परन्तु हमारी साहित्यिक रूचि बड़ी तेजी से बदल रही है। अब साहित्य केवल मनबहलाव की चीज नहीं है, मनोरंजन के सिवाय उसका और भी कुछ उद्देश्य है।

हिमायती
7 / जनवरी (प्रथम) 2026 (कुल पृष्ठ 8) आर. एन. आई. नं. 40611/62
प्रकाशन तिथि : 10 जनवरी, 2026

नीतिशास्त्र भौर साहित्य शास्त्र का लक्ष्य एक ही है। केवल उपदेश की विधि में अन्तर है। नीतिशास्त्र तर्कों और उपदेशों के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का यत्न करता है। साहित्य ने अपने लिए मानसिक अवस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुन लिया है।

जो दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फर्ज है। उसकी अदालत समाज है, इसी अदालत के सामने वह अपना इस्तगासा पेश करता है और उसकी न्याय–वृत्ति तथा सौंदर्य वृत्ति को जाग्रत करके अपना यत्न सफल समझता है।

प्रश्न यह है कि सौंदर्य है क्या वस्तु? प्रकटतः यह प्रश्न निरर्थक सा मालूम होता है, क्योंकि सौंदर्य के विषय में हमारे मन में कोई शंका संदेह नहीं। हमने सूरज का उगना और डूबना देखा है, उषा और संध्या की लालिमा देखी है, सुन्दर, सुगंध भरे फूल देखे हैं, मीठी बोलियां बोलने वाली चिड़ियां देखी हैं, कल–कल निनादिनी नदियां देखी हैं, नाचते हुए झरने देखे हैं, यही सौंदर्य है।

इन दृश्यों को देखकर हमारा अन्तःकरण क्यों खिल उठता है? इसलिए कि उनमें रंग या ध्वनि सामंजस्य है। साहित्य कलाकार आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्त रूप है और सामंजस्य सौंदर्य की सृष्टि करता है, नाश नहीं। वह इसमें वफादारी, सच्चाई, सहानुभूति, न्यायप्रियता और ममता के भावों की पुष्टि करता है। जहां ये भाव हैं, वहीं दृढ़ता है और जीवन है, जहां इनका अभाव है वहीं फूट, विरोध, स्वार्थपरता है। द्वेष, शत्रुता और मृत्यु है।

साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। अगर यह उसका स्वभाव न होता तो शायद वह साहित्यकार न होता। उसका दर्द से भरा हृदय इसे सहन नहीं कर सकता कि समुदाय क्यों सामाजिक नियमों और रूढ़ियों के बंधन में पड़कर कष्ट भोगता रहे? क्यों न ऐसे सामान इकट्ठा किए जायें कि हम गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाएं? वह इस वेदना को जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है, उतना ही उसी रचना में जोर और उन्नति से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है, जिससे हममें दृढ़ता और कर्मशक्ति उत्पन्न हो, जिसमें हमें अपनी दुखावस्था की अनुभूति हो हम देखें कि किन अंतर्बाह्य कारणों से इस निर्जीवता और ह्रास की अवस्था को पहुंच गए और उन्हें दूर करने की कोशिश करें।

हमारे लिए कवि के वे भाव निरर्थक हैं, जिनसे संसार की नश्वरता का अधित्य से हमारे हृदय में नैराश्य छा जाए। अब तो हमें उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो। अब तो हजरते इकबाल के साथ हम भी कहते हैं–

रम्जे ह्यात जोईजुजदर तपिश न्यावी,
दरकुलजुम रमीदन नंगस्त आवे जरा।
व आशियां न नशीनम जे लज्जत परवाज,
गहे वशाल गुलम गहे बरलबे जूयम।

अर्थात्, अगर तुझे जीवन के रहस्य की खोज है तो वह तुझे संघर्ष के सिवाय और कहीं नहीं मिलने का – सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है। आनन्द पाने के लिए मैं कभी घोंसला में बैठता नहीं, कभी फूलों की टहनियों पर, कभी नदी तट पर होता हूं। अतः हमारे पथ में अहंवाद अथवा अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रधानता देना वह वस्तु है, जो हमें जड़ता, पतन और लापरवाही की ओर ले जाती है और ऐसी कला हमारे लिए न व्यक्तिगत रूप से उपयोगी है और न समुदाय रूप में।

मुझे यह कहने में हिचक नहीं और चीजों की तरह कला को तुला पर तोलता हूं। निस्सन्देह कला का उद्देश्य सौंदर्य वृत्ति की पुष्टि करना है और वह हमारे आध्यात्मिक आनन्द की कुंजी है, पर ऐसा कोई रूचिगत, मानसिक तथा आध्यात्मिक आनन्द नहीं, जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। आनन्द स्वतः एक उपयोगिता युक्त वस्तु है और उपयोगिता की दृष्टि से एक ही वस्तु से हमें सुख भी होता है और दुख भी। आसमान पर छाई लालिमा निस्सन्देह बड़ा सुन्दर दृश्य है, परन्तु आषाढ़ में अगर आकाश पर वैसी लालिमा छा जाये तो वह हमें प्रसन्नता देने वाली नहीं हो सकती। उस समय तो हम आसमान पर काली घटाएं देकर ही आनन्दित होते हैं। फूलों को देखकर हमें इसलिए आनन्द होता है कि उनसे फूलों की आशा होती है, प्रकृति से अपने जीवन का सूर मिलाकर रहने में हमें इसीलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है और जिन भावों, अनुभूतियों और विचारों से हमें आनन्द मिलता है, वे इसी वृद्धि और विकास के सहायक हैं। कलाकार अपनी कला से सौंदर्य की सृष्टि करके परिस्थिति को विकास के लिए उपयोगी बनाता है।

परन्तु सौंदर्य भी और पदार्थों की तरह स्वरूपस्थ और निरपेक्ष नहीं, उसकी स्थिति सापेक्ष है। एक रईस के लिए जो वस्तु सुख का साधन है, वही दूसरे के लिए दुख का कारण हो सकती है।

बंधुत्व और समता, सभ्यता तथा प्रेम सामाजिक जीवन के आरम्भ से ही आदर्शवादियों का सुनहरा स्वप्न रहा है। धर्म प्रवर्तकों ने धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक बन्धनों से इस स्वप्न को सच्चाई बनाने का सतत, किन्तु निष्फल यत्न किया है ।

हमें एक ऐसे नये संगठन को पूर्ण बनाना है, जहां समानता केवल नैतिक बंधनों पर आश्रित न रहकर अधिक ठोस रूप प्राप्त कर ले,

हमारे साहित्य को उसी आदर्श को अपने सामने रखना है।

हमें सुन्दरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था, उन्हीं की कद्रदानी पर उसका अस्तित्व अवलंबित था और उन्हीं के सुख–दुख, आशा–निराशा और प्रतिद्वंद्विता की व्याख्या उसका उद्देश्य था। ग्रामवासी की देहाती वेश–भूषा और तौर–तरीके पर हंसने के लिए उसका शीन–काफ दुरुस्त न होता या मुहाविरों का गलत उपयोग उसके व्यंग्य विद्रूप की स्थाई सामग्री थी। वह भी मनुष्य है, उसके भी हृदय है और उसमें भी आकांक्षाएं हैं, यह कला की कल्पना से बाहर की बात थी।

उसके लिए सौंदर्य सुन्दर स्त्री है, उस बच्चों वाली गरीब रूपरहित स्त्री में नहीं, जो बच्चे को खेत की मेंड़ पर सुलाए पसीना बहा रही है। उसने निश्चय कर लिया है कि रंगे होंठों, कपोलों और भौंहों में निस्संदेह सुन्दरता का वास है, उसके उलझे हुए बालों, पपड़ियां पड़े हुए होंठों और कुम्हलाये हुए गालों में सौन्दर्य का प्रवेश कहां?

हमारी कला यौवन के प्रेम में पागल है और यह नहीं जानती कि जवानी छाती पर हाथ रखकर कविता पढ़ने, नायिका को निष्ठुरता का रोना रोने या उसके रूप–गर्व और चोचलों पर सिर धुनने में नहीं है। जवानी नाम है आदर्शवाद का, हिम्मत का, कठिनाई से मिलने की इच्छा का, आत्म–त्याग का।

जिन्हें धन वैभव प्यारा है, साहित्य मन्दिर में उनके लिए स्थान नहीं है। यहां तो उन उपासकों की आवश्यकता है, जिन्होंने सेवा को अपने जीवन की सार्थकता मान ली हो, जिनके दिल में दर्द की तड़प हो और मुहब्बत का जोश हो। हम अमीरों की श्रेणी में अपनी गिनती क्यों कराएं? हम तो समाज के झंडा लेकर चलने वाले सिपाही है और सादी जिन्दगी के साथ ऊंची निगाह हमारे जीवन का लक्ष्य है। •

(डा. कर्ण सिंह चौहान की पुस्तक 'प्रगतिवादी' आन्दोलन का आलेखात्मक इतिहास से साभार)

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

पढ़ें और आगे बढ़ें।

सम्पादकीय का शेष....स्त्रियों को समानता देने के लिए पितृसत्ता का समर्थन करने वाले साहित्य पर प्रतिबन्ध लगे

स्तर पर काफी कार्य किये तो फिर उनके कार्यों से 200 साल के बाद भी उन कार्यों के परिणाम स्वरूप भारत में स्त्रियों को पितृसत्ता से छुटकारा क्यों नहीं मिला? इसकी जड़ में मैं मनु महाराज की 'मनुस्मृति' और उसकी देन वर्ण-व्यवस्था है। 'मनुस्मृति' में स्त्री को शूद्रों के बराबर का दर्जा देते हुए उसकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिसमें कहा गया है– 'स्त्रीशूद्रोनाधीयताम्' यानि स्त्री व शूद्र की शिक्षा लेने पर प्रतिबन्ध है। संत गोस्वामी तुलसीदास ने इसी बात को अपने धर्मग्रंथ 'रामचरित मानस' में दोहराते हुए कहा है–'ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।' यानि स्त्री का दर्जा शूद्र व पशु के बराबर है अत: ढोल व गंवार की तरह उसे पीटने में कोई अन्याय नहीं। जब 'रामचरित मानस' की इस चौपाई को मन्दिरों में हर रोज बार-बार गाया जाये तो क्या स्त्री को समानता का दर्जा कोई दे सकेगा?

भारतीय समाज में इन धर्मग्रंथों ने अपनी गहरी जड़ जमाई हुई है। इसलिये स्त्रियों के प्रति गैर-बराबरी, अन्याय, उपेक्षा, पैर की जूती और उपभोग की वस्तु की भावना ने पुरुष समाज में घर किया हुआ है। कथावाचक उसमें नमक मिर्च लगाकर स्त्री के प्रति और जहर घोलते हैं और अपने प्रवचनों में खुलकर कहते हैं 'स्वतंत्र होय तो बिगड़े नारी।' जिसका परिणाम है कि स्त्री स्त्री के प्रति शक व नफरत करने लगती हैं। पुरुष वर्ग इज्जत व झूठी शान के नाम पर बेटियों को पराया धन मानते हैं और उनकी थोड़ी-सी भी मनमानी करने पर बेटियों को झूठी शान के बहाने जान से मारने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाते। विवाह के समय व बाद में ससुराल वाले दुल्हन के रूप में स्त्री को कमाई का जरिया समझते हैं और दहेज के रूप में अनाप-शनाप रुपये, गाड़ी, सोना-चांदी के जेवरात की मांग करते हैं जैसे कि उस दुल्हन में कोई कमी हो, और उसकी भरपाई दहेज से पूरा करना चाहते हों। लड़की के परिवार भी तो उसके पवित्र रिश्ते के रूप न देखकर उसका 'कन्यादान' करते हैं जैसे कि वह कोई इन्सान ही न हो। जब तक लड़के की पैदायस पर खुशी मनाई जाती है और मिठाई बांटी जाती है और लड़की के जन्म पर शोक व मातम मनाया जाता रहेगा, स्त्री को कभी भी 'सम्मान' और 'इज्जत' नहीं मिलेगी। स्त्री व पुरुष के लिए जब तक दोगला व्यवहार चलेगा, तब तक स्त्री मुक्ति की बात करना बेमायने है। स्त्री को उपभोग की वस्तु मानते हुए जब तक लोग आवाज लगाते हैं 'वीर भोग्या वसुन्धरा' तब तक 'स्त्री' को पुरुष के बराबर सम्मान नहीं मिलेगा। स्त्री-पुरुष के बीच में और व्यवहार में जो भेदभाव नजर आता है, उसकी जड़ में पितृसत्ता को समर्थन देने वाला साहित्य है। पितृसत्तावादी साहित्य और संहिताएं भेदभाव को जन्म देती हैं और मजबूत करती हैं। इसलिए स्त्री विमर्श की चर्चा करते हुए ऐसे सभी साहित्य का प्रतिरोध करना होगा जो स्त्री की स्वतंत्रता, समता, बन्धुता के साथ न्याय व सुरक्षा का विरोधी है, तभी स्त्रियां पितृसत्ता से छुटकारा पा सकेंगी।

– डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। □ सह सम्पादक एवं व्यवस्थापक - जय सुमनाक्षर, मो. 9810278936 Email-sumanakshar@ymail.com

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009